न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/06/2025	2025/34	30.01.2025	14.05.2025

1– देवदत्त पुत्र नत्थुराम जाति ब्राहम्ण निवासी शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) (मृतक)

1/1–नन्दलाल पुत्र स्व0 देवद्वत जाति ब्राहम्ण, निवासी शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

1/2– रघुवीर पुत्र स्व0 देवद्वत जाति ब्राहम्ण, (मृतक)

1/2/1–पिस्ता देवी स्त्री रघुवीर जाति ब्राहम्ण,

1/2/2–संजय पुत्र रघुवीर जाति ब्राहम्ण निवासी शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

1/2/3– किरण पुत्री रघुवीर पत्नी छियत्तरपाल जाति ब्राहम्ण निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

1/2/4– कु0 अनिता पुत्री रघुवीर जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

1/3 बाबूलाल पुत्र स्व0 देवदत्त (मृतक)

1/3/1 –मुन्नी देवी स्त्री बाबूलाल

1/3/2– ईशा पुत्री बाबूलाल पत्नी मोहन जाति ब्राहम्ण निवासी सोडावास

1/4– कृष्ण पुत्र स्व0 देवद्वत जाति ब्राहम्ण,

1/5– बिमला देवी स्त्री स्व0 देवद्वत जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)(मृतक)

(अपीलान्टान)

1– रामनिवास पुत्र रमेश चन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम तेजपुरर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

2– भोजराज पुत्र रमेश चन्द जाति गुर्जर निवासी तेजपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

3– खुशीराम पुत्र नत्थूराम जाति ब्राहम्ण निवासी 221 ब्लॉक सी. जे. जे कॉलोनी रघुवीर नगर दिल्ली–27

4– कमलेश पुत्री नत्थूराम स्त्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी वी– 554, गली न0 2 अरविन्द नगर घोण्डङ्ग भजनपुरा उत्तर पूर्व दिल्ली–53 ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

5– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

(रेस्पोडेन्टान)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर नामान्तकरण संख्या 3419 वाके ग्राम शामदा निर्णय दिनाक 29.05.2015 जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) जिसके द्वारा बेजा खिलाफ कानून नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1व 2 रामनिवास व भोजराज के पक्ष में स्वीकार किया गया है, को अपास्त किये जानें

उपस्थित–

01. कु0 सुषमा शर्मा – वकील अपीलान्ट

02. श्री रामेश्वर दयाल – वकील रेस्पोडेन्ट

–: निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबांस के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 3419 निर्णय दिनांक 29.05.2015 ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 252 रकबा 2.34 है0, 332 रकबा 0.54 है0, 333 रकबा 1.18 है0, कुल किता 3 रक़बा 4.06 है0 का 1/5 हिस्सा दर 2/3 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा नत्थूराम की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी थी, नत्थूराम द्वारा स्वयं की ग्राम शामदा में स्थित खातेदारी की आराजीयात के संबंध में एक वसीयत अपीलान्ट के हक में दिनाक 19.12.1993 को तहरीर की गयी वसीयत सभी परिवार वालो व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट व अन्य लोगो के हस्ताक्षर कराये गये। इस प्रकार वसीयत सभी पक्षो के सामने स्वेच्छा पूर्वक सभी परिवार वालो की सहमति से की गयी थी। मुताबिक वसीयत के मिन अपीलान्ट ग्राम शामदा मे स्थित आरजीयात का खातेदार काश्तकार काबिज जायदाद हो गया। वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1120 अपीलान्ट देवव्रत के हक में स्वीकृत हुआ जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को की गयी। जहॉ से अपील रिमांड होकर तहसीलदार मुण्डावर को भिजवायी गयी। तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा नत्थूराम की विरासत रेस्पोडेन्ट के नाम गलत तरीके से चढा दी, अपीलान्ट की वसीयत की और गौर नही किया गया। जिस आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के यहॉ पेश की गयी। विवादित आराजी पर .नत्थूराम के जीवनकाल से उनके देहान्त होने बाद भी अपीलान्ट विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, रेस्पोडेन्ट शुरू से ही दिल्ली में रहते है। जो ग्राम शामदा में नही रहे है, पिता के सामने ही दिल्ली रहने लग गये। रेस्पोडेन्ट का मौके पर कभी कब्जा नही रहा। रेस्पोडेन्ट गैर काबिज है, जिन्होने मिन अपीलान्टान के हकूको को मारने की गरज से एक नुमाइशी बैयनामा बिला जरे बदल व बिला कब्जा दिये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में पंजीबद्व कराया है, रेस्पोडेन्टान के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कभी कब्जा नही दिया क्योकि उनका स्वयं का कब्जा ही मौके पर नही है। नामान्तकरण दर्ज व मंजूर करते समय कब्जे का बिन्दू अहम होता है, तहत अदालत द्वारा कब्जे के बिन्दू को नजर अंदाज करते हुऐ नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में नामान्तकरण की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के लम्बित है, ऐसी स्थिति में असल नामान्तकरण का अंतिम निस्तारण हुए बिना ही आज्ञा जेर अपील पारित नही की जानी चाहिये थी, लेकिन गौर नही किया गया। इस बात की जानकारी तहत अदालत को बखूबी थी। विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें भी अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण संख्या 3419 दर्ज व मंजूर नही किया जाना चाहिए था, लेकिन गौर नही किया गया। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 3419 वाके ग्राम शामदा में वर्णित आराजीयात खसरा न0 252/2.34, 332/0.54, 333/1.18 किला 3 रकबा 4.06 है0 खुशीराम पुत्र नत्थू , कमला पुत्री नत्थू जाति ब्राहम्ण सम. हिस्सा 2/3 साकिन देह खातेदार बाकी बदस्तूर 1/3 हि0 दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत द्वारा उक्त नामान्तकरण बयनामा जर्ये रजि0 पु. स. 1 जिल्द सं. 455 पृष्ट सं. 33 क्रंम संख्या 2015001250 दिनाक 21.05.2015 उपपंजियक द्वारा तस्दीक किया गया है, के आधार पर खातेदार रामनिवास पुत्र रमेश चन्द गुर्जर हिस्सा 1/2 साकिन तेजपुरा हाल शामदा, भोजराज पुत्र रमेश चन्द गुर्जर साकिन तेजपुरा हिस्सा 1/2 दर 2/15 सा. तेजपरा खातेदार बाकी बदस्तूर दिनाक 29.05.2015 को स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट द्वारा बयनामा को निरस्त कराये जाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी है, के बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली के साथ पेश नही किया गया है, साथ ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है, विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार तय होने है। एक विषय–वस्तु के बाबत अलग–अलग न्यायालय में वाद नही चल सकते है, प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार तय सक्षम न्यायालय से होने है, अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे। अपने कथन की पुष्टि हेतु आर.आर.टी. 2023 (1) पेज संख्या 93 लगायत 97, आर.आर.टी. 2017 (2) पेज संख्या 1355 लगायत 1358

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का कथन है, कि आराजी खसरा न0 252 रकबा 2.34 है0, 332 रकबा 0.54 है0, 333 रकबा 1.18 है0, कुल किता 3 रकबा 4.06 है0 का 1/5 हिस्सा दर 2/3 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर नत्थूराम की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी थी, आराजीयात के संबंध में वसीयत अपीलान्ट के हक में दिनाक 19.12.1993 को तहरीर की वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1120 अपीलान्ट देवव्रत के हक में

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज.)

स्वीकृत हुआ जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को की गयी। जहाँ से अपील रिमांड होकर तहसीलदार मुण्डावर को भिजवायी गयी। तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा नत्थूराम की विरासत रेस्पोडेन्ट के नाम गलत तरीके से चढा दी, अपीलान्ट की वसीयत की और गौर नही किया गया। जिस आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के यहाँ पेश की गयी। विवादित आराजी पर नत्थूराम के जीवनकाल से उनके देहान्त होने बाद भी अपीलान्ट विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, रेस्पोडेन्ट शुरू से ही दिल्ली में रहते है। जो ग्राम शामदा में नही रहे है, रेसपोडेन्ट का मौके पर कब्जा नही है। रेसपोडेन्ट गैर काबिज है, अपीलान्टान के हकूको को मारने की गरज से एक नुमाइशी बैयनामा बिला जरे बदल व बिला कब्जा दिये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में पंजीबद्व कराया है, रेस्पोडेन्टान के द्वारा रेसपोडेन्ट संख्या 1 को कभी कब्जा नही दिया क्योकि उनका स्वयं का कब्जा ही मौके पर नही है। नामान्तकरण दर्ज व मंजूर करते समय कब्जे का बिन्दू अहम होता है, तहत अदालत द्वारा कब्जे के बिन्दू को नजर अंदाज करते हुऐ नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में नामान्तकरण की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के लम्बित है, ऐसी स्थिति में असल नामान्तकरण का अंतिम निस्तारण हुए बिना ही आज्ञा जेर अपील पारित नही की जा सकती है। विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें भी अधिकार तय होने है। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 3419 वाके ग्राम शामदा में वर्णित आराजीयात खसरा न0 252/2.34, 332/0.54, 333/1.18 किला 3 रकबा 4.06 है0 खुशीराम पुत्र नत्थू , कमला पुत्री नत्थू जाति ब्राहम्ण सम. हिस्सा 2/3 साकिन देह खातेदार बाकी बदस्तूर 1/3 हि0 दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत द्वारा उक्त नामान्तकरण बयनामा जर्ये रजि0 पु. स. 1 जिल्द सं. 455 पृष्ट सं. 33 क्रंम संख्या 2015001250 दिनाक 21.05.2015 उपपंजियक द्वारा तस्दीक किया गया है, के आधार पर खातेदार रामनिवास पुत्र रमेश चन्द गुर्जर हिस्सा 1/2 साकिन तेजपुरा हाल शामदा, भोजराज पुत्र रमेश चन्द गुर्जर साकिन तेजपुरा हिस्सा 1/2 दर 2/15 सा. तेजपरा खातेदार बाकी बदस्तूर दिनाक 29.05.2015 को स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट द्वारा बयनामा को निरस्त कराये जाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी है, के बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली के साथ पेश नही किया गया है, साथ ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है, विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति मे एक विषय–वस्तु के बाबत अलग–अलग न्यायालय में वाद नही चल सकते है, प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार तय सक्षम न्यायालय से होने है।

तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 3419 वाके ग्राम शामदा में वर्णित आराजीयात खसरा न0 252/2.34, 332/0.54, 333/1.18 किला 3 रकबा 4.06 है0 खुशीराम पुत्र नत्थू , कमला पुत्री नत्थू जाति ब्राहम्ण सम. हिस्सा 2/3 साकिन देह खातेदार बाकी बदस्तूर 1/3 हि0 दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत द्वारा उक्त नामान्तकरण बयनामा जर्ये रजि0 पु. स. 1 जिल्द सं. 455 पृष्ट सं. 31 क्रंम संख्या 2015001250 दिनाक 21.05.2015 उपपंजियक द्वारा तस्दीक किया गया है, के आधार पर खातेदार रामनिवास पुत्र रमेश चन्द गुर्जर हिस्सा 1/2 साकिन तेजपुरा हाल शामदा, भोजराज पुत्र रमेश चन्द गुर्जर साकिन तेजपुरा हिस्सा 1/2 दर 2/15 सा. तेजपरा खातेदार बाकी बदस्तूर दिनाक 29.05.2015 को स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट द्वारा बयनामा को निरस्त कराये जाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी है, के बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली के साथ पेश नही किया गया है, साथ ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है, विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति मे एक विषय–वस्तु के बाबत अलग–अलग न्यायालय में वाद नही चल सकते है, प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार तय सक्षम न्यायालय से होने है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण का निस्तारण किया जाता है, तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में चल रहे नियमित वाद की कार्यवाही प्रभावित होगी साथ रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है, कि तहत अदालत द्वारा खातेदारा के मध्य हुऐ रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा किये गये बयनामा को निरस्त कराये जाने हेतु सक्षम न्यायालय के यहा कोई कार्यवाही की गयी है, के बाबत कोई साक्ष्य पेश नही है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। तहत अदालत द्वारा विधिवत जॉच कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 29.05.2015 नामान्तकरण संख्या 3419 ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल–तिजारा (राज०)